अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 30–60/2012

शशिकला देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 48–2 आई.सी.डी.एस. सहरसा दिनांक 09.10.12 अन्दर वाद सं0 16/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

उक्त अपीलवाद सितुआहा पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र महादेव मठ, केन्द्र संख्या 34 से संबंधित है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के दौरान कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सलखुआ के पत्रांक 57 दिनांक 21.02.12 के प्रतिवेदनानुसार सितुआहा पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र महादेव मठ, केन्द्र संख्या 34 की दिनांक 21.02.12 को उनके द्वारा की गयी जॉच के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितता/त्रुटि पायी गयी:–

1. निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाया गया ।

2. ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि केन्द्र नहीं चलता है । पोषाहार का वितरण नहीं होता है । ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा दिनांक 21.2.12 को पल्स पोलियो कार्यक्रम में कार्यरत थी । ऑगनबाड़ी केन्द्र बन्द पाया गया तथा सहायिका अनुपस्थित थी ।

उपरोक्त वर्णित आरोप के आलोक में ऑगनबाड़ी सहायिका श्रीमती शशिकला देवी से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ज्ञापांक 744–1 दिनांक 14.05.12 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं दिनांक 25.05.12 को निर्धारित सुनवाई की तिथि उपस्थित होने का निदेश दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि ज्ञापांक1395–1 दिनांक 30.08.12 द्वारा सुनवाई की तिथि 07.09.12 को निर्धारित कर सुनवाई की गयी । सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सलखुआ उपस्थित हुए । परन्तु ऑगनबाड़ी सहायिका को अनुपस्थित बताया गया है तथा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की बात कही गयी है । इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण दाखिल किया गया था परन्तु आदेश में अंकित नहीं किया गया है जो सही नहीं है । दिनांक 21.02.2012 को सेविका पल्स पोलियो कार्यक्रम में थी। सहायिका केन्द्र पर उपस्थित थी । सहायिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया एवं खिचड़ी भी खिलाया गया है। केन्द्र के बगल में रामधुनी हो रहा था बच्चों के माता पिता के आग्रह पर बच्चों को रामधुनी देखने के लिए छुट्टी देकर सहायिका भी 12.50 में केन्द्र बन्द कर रामधुनी देखने चली गयी थी बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि पोषक क्षेत्र के अभिभावकगण के आग्रह पर गॉव में हो रहे सामाजिक कार्यक्रम में बच्चों के शामिल होने के लिए केन्द्र 10 मिनट पहले बन्द की गयी थी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से बच्चों की मानसिक धार्मिक एवं बौद्धिक विकास होता है। अतः यह कार्य बच्चों एवं लाभुकों के हित में है बतलाते हैं।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा सक्षम पदाधिकारी के बिना अनुमति से ऑगनबाड़ी केन्द्र समय से पहले बन्द किया जाना विभागीय निदेश के विरूद्ध है । केन्द्र समय पूर्व बन्द करने के लिए अपीलार्थी दोषी है तथा निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया न्यायादेश न्यायसंगत है । अतः अपीलार्थी का अपीलवाद अस्वीकृत करने योग्य है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना । निम्न न्यायालय अभिलेख, अपीलवाद के तथ्यों का सुक्ष्म अवलोकन किया । अपीलार्थी ऑगनबाड़ी केन्द्र सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना समय से पूर्व बन्द किया गया है जो विभागीय निदेश की अवहेलना है । निदेशक आई.सी.डी. एस. बिहार, पटना के संचिका संख्या 35010/1–2012–956, दिनांक 14. 03.2012 के कंडिका –i(1) के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है । अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत । इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

28/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

28/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।